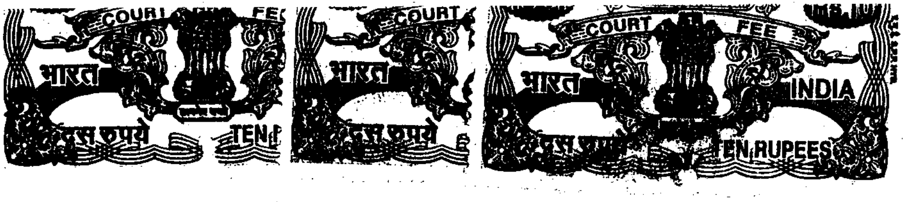

(2)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

AJ-7054-PBR-16 प्रकरण क्रमांक- ....

मेसर्स इण्डस कालोनाईजर प्रा.लि.

द्वारा चेयरमेन श्री धरमपाल सिंह

आयु लगभग 45 वर्ष आत्मज

श्री पर्वत सिंह निवासी- ई-2/60,

प्रथमतल, अरेरा कालोनी भोपाल ---------- आवेदक/निगरानीकर्ता

दिनांक 9-6-16 को संजीव जायसवाल श्री द्वारा प्रस्तुत। 9-6-16

विरुद्ध

(1). मध्यप्रदेश शासन द्वारा

उप पंजीयक औबेदुल्लागंज

जिला रायसेन ---------- अनावेदक/निगरानीग्रहिता

(2). श्री जी. अधीन सलाहकार प्रमुख (विधि) म.प्र. अर्बन डेवलपमेन्ट कार्पो. लि. भोपाल कार्पो. पर्यावास भवन जेलरोड भोपाल

संजीव जायसवाल एड.

❇❇ निगरानी अंतर्गत धारा 56 भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम ❇❇

आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला पंजीयक भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/बी-103/2009-10/48(ख) (मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध मेसर्स इण्डस कालोनाईजर प्रा.लि.) में पारित आदेश दिनांक 11/08/2014 से व्यथीत होकर वर्तमान निगरानी जानकारी दिनांक 27/05/2016 से विधिवत् समयावधि में निम्नलिखित ठोस वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7054 –पीबीआर/16 जिला **रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–6–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–8–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 9–6–16 को लगभग डेढ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश की सूचना नहीं देना दर्शाया गया है, जबकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में अनेक सूचना पत्र संलग्न है जिनसे आवेदक को नियत तारीख पेशी की समय सीमा में सूचना दी गई है । अतः प्रथमदृष्टया विलम्ब कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	